उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के प्रथम विद्या परिषद् की बैठक का कार्यवृत्त

विश्वविद्यालय के विद्या परिषद् की प्रथम बैठक अध्यक्ष विद्या परिषद् की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में दिनांक 29/03/2010 को प्रात 11:00 बजे सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया ।

1. प्रो0 विनय कुमार पाठक .... अध्यक्ष
   कुलपति एवं अध्यक्ष
   उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय,हल्द्वानी (नैनीताल)

2. प्रो0 मंजुलिका श्रीवास्तव .... सदस्य
   निदेशक
   दूरस्थ शिक्षा परिषद,
   इग्नू, नई दिल्ली

3. प्रो0 स्वराज बासु .... सदस्य
   प्रोफेसर इतिहास
   एवं पूर्व निदेशक दूरस्थ शिक्षा परिषद,
   इग्नू, नई दिल्ली।

4. श्री राजेश नैथानी .... सदस्य
   सलाहाकार माननीय मुख्यमंत्री
   उत्तराखण्ड सरकार

5. प्रो0 जे0 एस0 पी0 राय .... सदस्य
   विभागाध्यक्ष, प्लास्टिक इंजीनियरिंग
   एच0बी0टी0आई, कानपुर।

6. प्रो0 एच0सी0 पोखरियाल .... सदस्य
   डीन (परीक्षा) स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग
   दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।

7. डॉ0 राजन वेलुकर .... सदस्य
   पूर्व कुलपति
   वाई0सी0एम0ओ0यू0,
   नासिक।

8. प्रो0 जे0के0जोशी .... सदस्य
   प्रोफेसर (शिक्षा शास्त्र)
   कुमॉउ विश्वविद्यालय परिसर, अल्मोड़ा।

नियमित रूप से अद्यनरत छात्र इस विश्वविद्यालय से भी दूरस्थ शिक्षा द्वारा अध्ययन प्राप्त कर सकते है अनुमोदन दिया गया। स्नातक पाठ्यक्रम की प्राप्ति के बाद एकल विषय से करने हेतु भी अनुमोदन दिया गया। परिषद् ने यह भी सुझाव दिया की बी0पी0पी0 कार्यक्रम हेतु छात्रों को स्पष्ट रूप से अवगत करा दिया जाये की यह पाठ्यक्रम हाईस्कूल व इंटर के समतुल्य नहीं होगा।

1.02 **विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान में संचालित किये जा रहे पाठ्यक्रमों के माध्यम, शुल्क तथा अवधि से परिषद् को अवगत कराना तथा अनुमोदन।**

परिषद् वर्तमान में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में ली जा रही शुल्क एवं अवधि से अवगत हुई। पूर्व में लागू पुर्नमूल्यांकन प्रणाली, स्कूटनी आदि पर अनुमोदन प्रदान किया।

1.03 **विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समस्त कार्यक्रमों हेतु वर्षवार प्रति वर्ष प्रवेश तथा परीक्षा शुल्क पर परिषद् का विचार एवं अनुमोदन।**

परिषद् द्वारा विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।

1.04 **विश्वविद्यालय में वर्ष 2006–2007 से वर्ष 2008–2009 तक विभिन्न पाठ्यक्रमों में पंजीकृत छात्रों की संख्या से परिषद् को अवगत कराना।**

परिषद् द्वारा विचारोपरान्त विषय, माध्यम व पाठ्यक्रम परिवर्तन हेतु शुल्क को अनुमोदित किया तथा परीक्षा केन्द्र परिर्वतन हेतु एक समिति गठित करने का निर्देश दिया। यह भी निर्देशित किया की ऐकेडेमिक केलेन्डर भी तैयार कर लिया जाये।

1.05 **विश्वविद्यालय द्वारा अद्यतन में स्वयं विकसित तथा अनुदित किये गये पाठ्यक्रमों से परिषद् को अवगत कराना।**

परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

1.06 **भविष्य में संचालित किये जाने वाले पाठ्यक्रमों का विवरण।**

परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय के परिनियमावली में पूर्व से अनुमोदित निम्न विद्या शाखा को संशोधन के साथ खोले जाने हेतु अनुमोदित की गई –

1. अर्थशास्त्र को मानविकी से हटाकर समाज विज्ञान में समायोजित किया जाये एवं पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान को कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान में सम्मलित किया जाये।
2. समाज विज्ञान में प्राचीन भारतीय इतिहास और पुरातत्व विज्ञान तथा मध्ययुगीन और आधुनिक इतिहास के स्थान पर केवल इतिहास लिखा जाना अनुमोदित किया गया।
3. प्रबन्ध अध्ययन एवं वाणिज्य विद्या शाखा में प्योर एंड एप्लाईड इकोनोमिक्स के स्थान पर Applied and Region Economics लिया जायेगा।

   साथ ही तीन नये शिक्षा शास्त्र, कृषि, ग्रामीण स्वास्थ्य विज्ञान शाखा पर अनुमोदन दिया गया। उक्त के अतिरिक्त लोक नृत्य एवं संगीत इकाई, मानविकी इकाई तथा विज्ञान विद्या शाखा में Vocational Education, Resource Management एवं Electronic Engineering को सम्मलित किये जाने का अनुमोदन किया गया। साथ ही कैट व मैट स्कोर की भी पात्रता स्वीकार होगी।

1.13 **शोध एवं विकास परिषद् के गठन पर विचार एवं अनुमोदन।**
परिषद् द्वारा अनुमोदित किया गया।

1.14 **विषय विशेषज्ञ परिषद् के गठन पर विचार एवं सहमति।**
परिषद् द्वारा विषय समिति में सदस्य नामित किये जाने हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया।

1.15 **विश्वविद्यालय का LOGO एवं कुल गीत निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।**
परिषद् द्वारा प्रस्तुत LOGO को अनुमोदित किया गया एवं कुल गीत तैयार कर अगली बैठक में प्रस्तुत किये जाने पर सहमति दी गई।

1.16 **विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2010–2011 हेतु निर्धारित Academic Calender के अनुमोदन के सम्बन्ध में।**
परिषद् द्वारा प्रस्तावित Academic Calender आगामी सत्र से लागू किये जाने पर अनुमोदन दिया गया।

1.17 प्राश्निक, अनुसीमकों, मूल्यांकनकर्ता, परीक्षकों, पर्यवेक्षकों तथा परीक्षा से सम्बधित समस्त कार्मिकों की नियुक्ति हेतु कुलपति को अधिकृत किये जाने पर अनुमोदन।
परिषद् द्वारा मानदेय दरों को परीक्षा समिति में रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

1.18 **परीक्षा समिति में विद्या परिषद् द्वारा एक सदस्य का नामांकन किये जाने हेतु परिषद् से अनुमोदन।**
परिषद् द्वारा सदस्य नामित किये जाने हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया।

1.19 **विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्रों को आकर्षित एवं मार्गदर्शन करने हेतु निर्देशन परामर्श सेल की स्थापना पर विचार एवं अनुमोदन।**
परिषद् द्वारा अवलोकन करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्त में अध्यक्ष महोदय द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्त हुई।

Vinay Kumar Pathak

(विनय कुमार पाठक)
कुलपति / अध्यक्ष

8/4/10

(बी० आर० पन्त)
कुलसचिव / सदस्य सचिव

9. प्रो0 एच0 डी0 बिष्ट .... सदस्य
पूर्व प्रोफेसर (भौतिकी)
आई0 आई0 टी0 कानपुर।

10. प्रो0 बी0 एस0 बिष्ट .... सदस्य
संयुक्त निदेशक उच्च शिक्षा
हल्द्वानी।

11. प्रो0 अजय रावत .... सदस्य
प्रोफेसर इतिहास
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय,
हल्द्वानी, नैनीताल।

12. प्रो0 के0 के0 पाण्डे ....विशेष आमंत्रित
सलाहाकार
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी।

13. श्रीमती जयंती ह्यांकी ....विशेष आमंत्रित
वित्त नियन्त्रक
उ0 मु0 वि0वि0, हल्द्वानी (नैनीताल)

14. श्री डी0 के0 सिंह ....विशेष आमंत्रित
उपकुलसचिव
उ0 मु0 वि0वि0, हल्द्वानी (नैनीताल)

15. श्री एम0 सी0 जोशी ....विशेष आमंत्रित
सहायक कुलसचिव
उ0 मु0 वि0वि0, हल्द्वानी (नैनीताल)

8. डॉ0 बी0 आर0 पन्त .... सदस्य सचिव
कुलसचिव
उ0 मु0 वि0वि0, हल्द्वानी (नैनीताल)

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये –

1.01 **<u>विश्वविद्यालय की स्थापना से अब तक के प्रगति से परिषद् के सदस्यों को अवगत कराना।</u>**

परिषद् विश्वविद्यालय की अद्यतन प्रगति से अवगत हुई एवं पूर्व में प्रवेश प्रक्रिया 10+2 तथा नॉन 10+2 की पात्रता परीक्षा 2009 तक पर अनुमोदन किया गया।

1.07 **प्रस्तावित पाठ्यक्रमों के विषय विशेषज्ञों के कार्यवृत्त विचारार्थ प्रस्तुत।**

परिषद् द्वारा प्रस्तावित समस्त पाठ्यक्रमों पर इस शर्त के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया की समस्त पाठ्यक्रम दूरस्थ शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही संचालित किये जायेगे व विश्वविद्यालय द्वारा वही कोर्स संचालित किये जायेगे जो विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ स्टडीस (विषय समिति) से अनुमोदित हो। यह भी निर्णय लिया गया की विभिन्न पाठ्यक्रमों के Nomenclature वही रखे जायेगे जो प्रचलित हो एवं उनमें एकरूपता हों।

1.08 **समन्वयक, परामर्शदाता आदि के मानदेय पर अनुमोदन।**

परिषद् द्वारा समन्वयक, परामर्शदाता आदि के मानदेय निर्धारण हेतु गठित निम्न समिति पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

1. कुलपति द्वारा नामित अध्यक्ष
2. कुलपति द्वारा नामित सदस्य
3. डॉ0 बी0 आर0 पन्त, कुलसचिव
4. श्री डी0 के0 सिंह, उपकुलसचिव
5. श्री एम0 सी0 जोशी, सहायक कुलसचिव (अधिष्ठान)

1.09 **मूल्यांकन पद्वति एवं श्रेणीकरण (Grade & Percentage) लागू किये जाने पर विचार एवं अनुमोदन।**

परिषद् द्वारा अनुमोदित किया गया।

1.10 **Transfer of credit from other Educational Organization for lateral entry.**

परिषद् द्वारा सुझाव दिया गया की विश्वविद्यालय द्वारा एक समतुल्य समिति का गठन किया जाये जो दूरस्थ शिक्षा परिषद् एवं दिल्ली विश्वविद्यालय के क्रेडिट ट्रास्फर हेन्डबुक का अध्ययन कर निर्णयों से विद्या परिषद् की अगली बैठक में रखा जाये। समिति में निम्न सदस्य होगे –

1. डॉ0 अजय रावत
2. डॉ0 जे0के0जोशी
3. डॉ0 के0 के0 पाण्डे

1.11 **क्षेत्रीय केन्द्रों एवं अध्ययन केन्द्रों के स्थापना, संचालन आदि के सम्बन्ध में नीति निर्धारण।**

परिषद् द्वारा अनुमोदित किया गया।

1.12 **विभिन्न संस्थाओं, उद्योगो आदि से समझौता पत्र पर अनुमोदन के सम्बन्ध में विचार विमर्श व निर्णय।**

परिषद् द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2010 से प्रारम्भ किये जाने वाले पाठ्यक्रमों के समझौता पत्र तैयार किये जाने व लागू किये जाने हेतु गठित समिति के रिपोर्ट पर अनुमोदन प्रदान किया गया।